

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा (सीकर)

पीठासीन अधिकारी- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 35/2023

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

ताराचन्द शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम घाणा तहसील नेछवा जिला-सीकर

बनाम

तहसीलदार, नेछवा जिला सीकर

**-: आदेश :-**

दिनांक : 21.10.2024

अधिवक्ता नागरमल शर्मा ने प्रार्थना पत्र अंधारा 136 भूराजस्व अधिनियम पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आदेश जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नेछवा की रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2024 /1819 दिनांक 11.09.2024 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2076-79 ग्राम तूनवा, पटवार हल्का काछवा, भू0अ0नि0 काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर के खाता संख्या 66, 229 में रामकुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर " रामकुमार पुत्र मोहनलाल " दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में उल्लेखित पूर्व नाम रामकुमार पुत्र मोहनलाल से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, नेछवा